

**17.01.2023**

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। बार-बार पुकार कराये जाने पर भी कोई उपस्थित नहीं है।

आदेशपत्र के अवलोकन से विदित होता है कि पैरवी के आदेश के बावजूद अपीलार्थी द्वारा पैरवी नहीं की गयी है। आज अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, न ही स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः यह प्रकीर्ण सिविल अपील अपीलार्थी की अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में निरस्त की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार दाखिल की जाये।

(राजीव भारती)

जनपद न्यायाधीश, मथुरा

I.D. No. UP 6547